न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./405 /2005/जालौर

1 पोमा

2 पुरा

पुत्रगण आसाजी जाति कलवी निवासी दुदवा, तहसील सायला, जिला जालौर।

अपीलाण्ट

बनाम

1.कपूरिया पुत्र करमीडा जाति कलबी

2 मोडसिंह (मृतक) पुत्र सरूपसिंह जाति राजपूत जरिए कायममुकाम

2/1 अगरसिंह पुत्र मोडसिंह

3 जेतसिंह(मृतक) पुत्र सरूपसिंह जाति राजपूत जरिए कायममुकाम

3/1 गुलाबसिंह पुत्र जेतसिंह

समस्त निवासी दुदवा, तहसील सायला, जिला जालौर।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष

श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री ओंकार लाल दवे, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 27.8.18

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-1-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसके भाई रघुनाथ पुत्र करमीडा ने द्वारा एक वाद विरूद्ध राज्य सरकार व बदनकंवर बेवा सरूपसिंह को पक्षकार बनाते हुए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध बाबत खातेदारी घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 12-1-96 को वर्तमान खसरा नंबर 161 रकबा 1.70 हेक्टेयर में से 1.08 हेक्टेयर अवस्थित सरहद मौजा दूदवा तहसील सायला प्रस्तुत कर यह रिलीफ चाही कि उपरोक्त चाहे गए रकबा का उनको खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को उनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप से रोका जाए । बाद में इस वाद को वापिस ले लिया गया । उप जिला कलेक्टर ने पूर्व प्रस्तुत वाद संख्या 27/96 को दिनांक 7-10-97 से द्वारा खारिज कर दिया इसके पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के साथ बदनकवर पत्नि को पक्षकार बनाते हुए एक वाद उपजिला कलेक्टर के दिनांक 16-3-98 को प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 22 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा का रकबा आगे चलकर 25 बीघा 13 बिस्वा दर्ज कर दिया । जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रही किन्तु बाद में वादी का नाम बिना किसी आदेश के हटा दिया गया । भू प्रबन्ध अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के मनमाने तरीके वर्तमान रिकार्ड से कलीया, नगीया, पिसरान सोन्या का नाम हटा दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अधिक भूमि दे दी गई जो निरस्त योग्य है । भू प्रबन्ध के दौरान खसरा नंबर 160 लगायत 163 कुल किता 4 कुल रकबा 4.32 हेक्टेयर कायम किए गए । विवादित भूमि के कुल रकबे में अपना 1/8 हिस्सा पाने का अधिकार बताते हुए खसरा नंबर 161 के कुल रकबा 1.70 हेक्टेयर में से 0.54 हेक्टेयर पर वादी को प्रतिवादी के स्थान पर खातेदारी दर्ज करने की रिलीफ चाही । अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने अपना जबावदावा प्रस्तुत किया । वाद व जबावदावे के आधार पर कुल 3 तनकियात कायम की गई । उभय पक्षकारान की बहस सुनने के बाद उप जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16-3-2004 द्वारा वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का वाद अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित करते हुए विवादित आराजी खसरा नंबर 161 के कुल रकबा 1.70

हेक्टेयर में से अपीलाण्ट के बजाय 0.54 हेक्टेयर का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिए । उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉं अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13-1-2005 द्वारा अपीलाण्ट की अपील अस्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16-3-2004 को यथावत रखा ।

उप जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16-3-2004 में यह आदेशित किया है कि वादी/रेस्पोडेण्ट गत खसरा नंबर 22 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा का सहकाश्तकार था जिसके नवीन नंबर 160 से 163 कुल रकबा 4.32 हेक्टेयर बने है वादी को तनकी नंबर 2 के निर्णयानुसार पूर्ववत खसरा नंबर में सहखातेदार दर्ज नहीं कर पारिवारिक समझौते के आधार पर सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को गलत अवैध रूप से खातेदार दर्ज कर दिया जिसे हटाया जाकर पूर्ववत वादी पुनः खातेदार दर्ज किए जाने का अधिकारी पाया जाता है । चूंकि वादी का कब्जा खसरा नंबर 161 में से रकबा 0.54 हेक्टेयर पर उसके हक हिस्से अनुसार पाया जाता है । अतः उक्त आराजी का प्रतिवादी 1 व 2 के बजाय पुनः पूर्ववत वादी को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। शेष खातेदार पूर्ववत अपने इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा हेतु चाहे तो घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर सकते हैं । उक्त तनकीयात के आधार पर मौजा दूदवा के खसरा नंबर 161 रकबा 1.70 हेक्टेयर में से प्रतिवादी 1 व 2 पोमा पूरा पिसरान आसाजी के स्थान पर रकबार 0.54 हेक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है । गत खसरा नबर 22 के वर्तमान खसरा नंबर 160 से 163 के वादी के अलावा अन्य पूर्ववत खातेदार घोषणात्मक वाद अलग से प्रस्तुत कर सकते हैं

उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 13-1-2005 में यह यह माना है कि वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कीओर से अपने वाद की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी संवत 2011-14 प्रदर्श 4 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 12,22,52 62 कुल रकबा 176 बीघा 3 बिस्वा बाबत

सोनीया वल्द चन्ना 2/3 करमीडा वल्द दर्जा 1/3 कौम कली सा0 देह खातदेार दर्ज है । प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 में उकत आराजीयात जेठीया, लछमणा कालिया व नगीया दर्ज है । प्रदर्श–6 जमबान्दी संवत 2019–2022 में भी उक्त आरजीयात बाबत जेठीया, लछमणा कालिया व नगीया पिसरान सोनिया, रूगनाथया, कपुरिया पिसरान करमीडा जाति दर्ज है । और विशेष विवरण के कालम में जरिए नामान्तरकरण संख्या 31 के जेठिया लक्ष्मणा का नाम हटाकर उनके भाई के नाम कलीया नगीया के नाम अमल दरामद किए जाने का दर्ज है । इसी अनुसार जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 में आराजीयात बाबत कलिया, नगीया पिसरान सोनिया, रूगनाथया कपुरिया पिसरान करमीडा जाति कलबी साकिन देह दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 में यही इन्द्राजता पाये जाते हैं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा संख्या 22 से वर्तमान खसरा नंबर 160, 161, 162, व 163 बाबत पूरा, पोमा पिसरान आसा जाति कलबी साकिन देह दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि प्रदर्श 7 में खसरा संख्या 160, 161, 162, व 163 बाबत पूरा, पोमा पिसरान आसा का कहीं कोई आधार स्पष्ट नही किया गया है । यद्यपि सेटलमेंट के दौरान पक्षकारान की आपसी रजामंदी दिनांक 25 जून 1992 के आधार पर खाते अलग अलग किए जाने का कथन प्रतिवादी अपीलाण्ट की ओर से किया गया है और आपसी सहमति पत्र की छाया प्रति भी पेश की गई है मगर वादी रेस्पोडेण्ट ने उक्त सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है और प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाहान ने भी उसके कथन की पुष्टि की है । ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त से परे निर्विवाद रूप से यह नहीं माना जा सकता कि उक्त सहमति पत्र एवं बंटवारे बाबत वादी रेस्पोडेण्ट रजामंद था और सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त आधार पर किएगए इन्द्राजात सही है एवं विधिसम्मत है। उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत एवं न्यायोचित पाए जाते है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं संशोधन का कोई आधार एवं औचित्य नजर नहीं आता है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–3–2004 बहाल रखा जाता है।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का वाद मिसकन्सीवड था राजस्व अपील प्राधिकारी ने सरसरी तौर पर अपील में वाद के तथ्यों को दर्शाते हुए अपील अस्वीकार कर दी । वादी अपने वाद के पेरा नंबर 3 मेंयह कथन कर कर आया है कि भू प्रबन्ध अधिकारियों ने कलीया, नगीया पिसरान सोन्या का नाम हटाया दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अधिक भूमि दे दी गई किन्तु कलीया, नगीया, पिसरान सोन्या ने न तो कोई वाद प्रस्तुत किया न ही वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उनको वाद में पक्षकार ही बनाया । कलीया नगीया का नाम राजस्व रिकार्ड में बंदोबस्त अधिकारियों ने हटाया दिया तो वादी रेस्पोडेण्ट व्यथित पक्षकार नहीं कहा जा सकता और न वह वाद लाने का अधिकारी है । रेस्पोडेण्ट सख्ंया 1 ने न तो बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी हे और न ही इन्द्राजात को । बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा पारित आदेश सभी खातेदार की सहमति से पारित किया गया था केवल खसरा नंबर 161 तक बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा किए गए इन्द्राज को गलत मानना व बाकी अन्य खसरा नंबरान जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार थे, को स्वीकार किया है । वादी रेस्पोडेण्ट साबिक खसरा नंबर 22 के जो भी खसरा नंबर कायम हुए उनमें अपना नाम जिस हद तक उसका दर्ज था उस हद तक ही साबित करने का अधिकारी था न कि कुछ विशेष एक खसरा नंबर में । प्रतिवादी अपीलाण्ट आराजी खसरा नंबर 161 कुल रकबा 1.70 हेक्टेयर पर काबिज है । कब्जे के अभाव में वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है । अपीलाण्ट/प्रतिवादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया वादी एवं उसके भाई रघुनाथ द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद संख्या 27/96 वापिस लिए जाने के बाद यद्यपि वादी रेस्पोडेण्ट संख्या

1 ने वाद प्रस्तुत किए जाने की इजाजत के साथ वाद विड्रॉ किया था किन्तु पूर्व वाद में फारमल डिफेक्ट नहीं होने से पूर्व वाद के कथनों के विपरीत वाद प्रस्तुत नहीं कियाजा सकता है । वादी का वाद संधारण योग्य नहीं था।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि पूर्व में भी प्रतिवादी करमीडा द्वारा एक दावा वर्ष 96 में सहायक कलेक्टर के यहां प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 7-10-97 को जरिए विड्रॉ खारिज करवा गया । उन्होंने यह दावा वर्ष 1998 में पेश किया गया । राजीनामें के आधार पर सेटलमेंट ने बंटवारा किया था इस सेटलमेंट के आदेश को रेस्पोडेण्ट ने चुनौती नहीं दी है । पूर्व में प्रस्तुत दावे के आधार पर पुनः उन्हीं कथनों के आधार पर नया दावा नहीं लाया जा सकता है । सेटलमेंट के द्वारा कई खसरों के बारे में आदेश दिया था किन्तु दावा दूसरे खसरा नंबर के लिए लाया गया । यदि उन्हें कोई आपत्ति थी तो पूरे खसरों का ही दावा करना चाहिए था । जब बंटवारा होना स्वीकार किया है विचारण न्यायालय ने अलग सेदावा करने के निर्देश दिए हैं । इस आदेश से तो मुकदमेंबाजी का अंत नहीं होता है । अपीलाण्ट द्वारा लाए गए वाद में पूर्व में अन्य भी सहखातेदार थे उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया । अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें ।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाण्ट के द्वारा जो विचारण न्यायालय में जबावदावा प्रसतुत किया है उसमें यह नहीं कहा गया कि सारे नंबरों का दावा करना चाहिए आज यह अपील के स्तर पर अपने अभिकथनों के बाहर नहीं जा सकते हैं । पूर्व में जो दावा विड्रॉ जरिए खारिज करवाया गया था वह निर्णय की परिभाषा में नहींआता है । मेरिट से किया हुआ निर्णय ही निर्णय माना जा सकता है जिससे रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है जिस खसरा के लिए उसे आपत्ति थी उसी के लिए दावा किया गया है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है जबकि उन्हें कोई बंटवारे का अधिकार नहीं है । यदि अपीलाण्ट यह कहता है कि उन्हें शहादत का मोका नहीं मिला तो उन्हें निगरानी पेश करनी चाहिए । तनकियात में परिवर्तन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किए गए है । अपीलाण्ट के द्वारा क्रॉस दावा भी फाईल नहीं किया

गया । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय सही है । अतः अपील खारिज की जावें।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी 2002 पेज540, ए.आई.आर. 2006 पेज 1864, आर.आर.डी 1980 पेज 750, डी.एन.जे. 2016 राज0 पेज 363, 243, 104, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 226 न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।

6. प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि विचारण न्यायालय का आदेश से अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढेगी । सिर्फ पारिवारिक समझौता ही निर्णित किया जाना चाहिए । पारिवारिक बंटवारा स्वीकृत करने का अधिकार भू प्रबन्ध अधिकारी को है । सहमति पत्र पर इनके हस्ताक्षर है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रदर्श-3 मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 22 के नये खसरा नंबर 160, 161, 162 , 163 बने है । प्रदर्श-4 जमाबन्दी संवत 2011-14 प्रदर्श 4 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 12,22,52 62 कुल रकबा 176 बीघा 3 बिस्वा बाबत सोनीया वल्द चन्ना 2/3 करमीडा वल्द दर्जा 1/3 कौम कली सा0 देह खातदेार दर्ज है । प्रदर्श-5 नकल जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 में उकत आराजीयात जेठीया, लछमणा कालिया व नगीया दर्ज है । प्रदर्श-6 जमबान्दी संवि 2019-2022 में भी उक्त आरजीयात बाबत जेठीया, लछमणा कालिया व नगीया पिसरान सोनिया, रूगनाथया, कपुरिया पिसरान करमीडा जाति दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा संख्या 22 से वर्तमान खसरा नंबर 160, 161, 162, व 163 बाबत पूरा, पोमा पिसरान आसा जाति कलबी साकिन देह दर्ज है।

9. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जोधुपर को जो प्रार्थना–पत्र खाता अलग करने हेतु पेश किया है उसमें कपूरराम, नंगाराम, रूगनाथा पूरा आदि के हस्ताक्षर है । इसी प्रार्थना–पत्र पर भू मापक निरीक्षक की रिपोर्ट की हुई है कि मोका रिपोर्ट के अनुसार खातेदार मौके पर अलग–अलग काबिज है और कब्जा अनुसार रिकार्ड में इन्द्राज करवाना चाहते हैं । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया है कि सहकाश्तकार परस्पर सहमति से अलग–अलग कब्जा काश्त है । इसी अनुरूप इन्द्राज दुरूस्ती से नियमानुसार प–21 भरकर पेश करें ।

10. पारिवारिक समझौते में भी यही अंकित किया है कि अलग–अलग खाता करने के सभी काश्तकार सहमति प्रदान करते हैं कब्जा काश्त इसी खसरा नंबरान के अनुसार मौके पर आज भी मौजूद है । इसलिए हम बिना किसी आपत्ति एतराज के सहमत होकर रजामंदी से अलग–अलग करवाना चाहते हैं खसरा नंबर 22 जिसके नवीन नंबर 161, 162, 163, है पर पूरा पोमा पिता आसा दर्ज है एवं खसरा नंबर 160 पर सरुपसिंह वल्द रावत सिंह को दिया है जमाबन्दी जो प्रस्तुत की गई हैं उसके अनुसार खसरा नंबर 22 पोमा पूरा का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है । सभी प्रस्तुत जमाबंदियों में करमीडा वल्द दर्जा का नाम 1/3 हिस्से के रूप में दर्ज किया हुआ है बाद में करमीडा के स्थान पर रघुनाथाया, कपूरिया का नाम दर्ज किया हुआ है । सेटलमेट विभाग को पुरानी प्रविष्टियों को ही दोहराना होता है। जो बंटवारा किया गया है वह भी सहखातेदारों के बीच ही हो सकता है। प्रतिवादीगण के द्वारा जो मौखिक साक्ष्य विचारण न्यायालय में करवाई गई है उसमें भी यही बताया गया है कि खसरा नंबर 161 में साढे तीन बीघा जमीन पर कपूरिया काबिज काश्त है ।

11. विचारण न्यायालय ने तनकियात बनाकर दोनों पक्षों को सुनकर के दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का पूर्ण विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि सेटलमेंट की अंतिम जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 केअनुसार खसरा नंबर 22 पर सरूपसिंह पुत्र रावतसिंह 1/2 हिस्सो व कलीया नगीया पि0 सोनिया, रूगनाथ कपूरिया पि.0 करमीडा 1/2 हिस्से

खातेदार दर्ज है । सेटलमेंट के बाद उक्त इन्द्राजात को सेटलमेंट बदलने के अधिकार नहीं थे यह केवल मात्र सक्षम न्यायालय के आदेश से ही परिवर्तन किया जा सकता है । खसरा नंबर 22 के प्रतिवादी पूरा व पोमा सहखातेदार ही नहीं थे । उन्हें नवीन खसरा नंबर 161, 162, 163 के खातेदार दर्ज कर दिया और वादी कपूरिया पुत्र करमीडा आदि के नाम राजस्व रिकार्ड में होते हुए भी हटा दिया गया । जब पूरा व पोमा गत खसरा नंबर 22 के रेकार्डेड खातेदार ही नहीं थे तो उन्हें पारिवारिक समझौते बंटवारे के द्वारा कोई हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं था । सेटलमेंट विभाग को बिना किसी आधार के पूरा व पोमा के नाम खातेदारी नहीं दी जा सकती थी । पारिवारिक समझौता व बंटवारे की आड में पूरा व पोमा को खातेदार दर्ज कर दिया एवं रेकार्डेड खातेदार का नाम हटा दिया गया जो प्रथम दृष्ट्या ही गलत प्रतीत होता है । सेटलमेंट को इस प्रकार खातेदार का नाम हटाने का अधिकार नहीं था ।

12. विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पूर्ण विवेचन कर ही तनकी नंबर 1 को रेकार्डेड खातेदार कपूरिया पुत्र करमीडा का नाम निर्णित करने का जो फैसला दिया है वह उचित है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष